नकल किया 1 अंक 8-6-09

न्यायालय उपजिलाधिकारी सोरांव, इलाहाबाद।

वाद संख्या 26 वर्ष 2009 धारा 143जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधि0
मौजा–मलाक चौधरी परगना व तहसील--- सोरांव, जनपद--- इलाहाबाद।
एन0बी0एस0कालेज आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नालाजी बनाम सरकार
द्वारा प्रबन्धक श्रीमती रेनू सिंह

आदेश

प्रस्तुत वाद धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के अंतर्गत एन0 बी0 एस0कालेज आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नालाजी द्वारा प्रबन्धक श्रीमती रेनू सिंह पत्नी संतोष कुमार सिंह निवासी 6 गंगा दर्शन कालोनी गेहदौरी तेलियरगंज इलाहाबाद द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मलाक चौधरी परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद स्थित आराजी संख्या–387 रकबा 0.8560 हे0 व आराजी संख्या–388क रकबा 0.1600हे0 में से 640 वर्गमीटर व 388ख रकबा 0.2400हे0 में से 960 वर्गमीटर क्रय किया गया है, का संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है। मौके पर विवादित भूमि अकृषिक है तथा आबादी होने के कारण कृषि कार्य नहीं हो रहा है। वादिनी द्वारा उक्त आराजियात को अकृषिक/आबादी घोषित करते हेतु लगान मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार तहसीलदार सोरांव के माध्यम से जांच कराई गयी। जांच आख्या में नायब तहसीलदार मध्यवर्ती द्वारा उल्लेख किया गया है कि ग्राम मलाक चौधरी परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद की विवादित आराजियात पर वादिनी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। मौके पर उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण कार्य हो रहा है तथा वादिनी की सम्पूर्ण हिस्से वाली भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। नायब तहसीलदार मध्यवर्ती द्वारा ग्राम मलाक चौधरी परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहााबाद की गाटा संख्या– 387 रकबा 0.856 हे0 व गाटा संख्या 388 क रकबा 0.160हे0 व गाटा संख्या 388ख रकबा 0.240 हे0 में से 0.160हे0 को गैर कृषिक/आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

जांच आख्या सहित पत्रावली प्रस्तुत होने पर नामिका वकील गांवसभा से आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें विवादित भूमि को गैर कृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है जो संलग्न पत्रावली है। मैंने पत्रावली का विधिवत् अवलोकन किया। विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। विवादित भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा आवासीय उपयोग में लायी जा रही है।

अतः ग्राम मलाक चौधरी परगना व तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद स्थित गाटा संख्या 387 रकबा 0.856 हे0 सम्पूर्ण व गाटा संख्या–388क रकबा 0.160 हे0 में से 0.0640हे0 व गाटा संख्या– 388ख रकबा 0.240हे0 में से 0.0960हे0 कुल 1.0160 हे0 को अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति उप निबन्धक सोरांव को भेजी जाय।

(त्रिलोकी सिंह)
उप जिलाधिकारी सोरांव,
इलाहाबाद।
8.6.09

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 2/10/09
तैयारी करने की तिथि 3/10/09
जारी करने की तिथि 3/10/09

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार / प्रतिलिपिक
एस.डी.एम.
03/10/09